ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

पत्रांक: 1988/भाविवि/कुसका/2022/ दिनांक : 23 दिसम्बर, 2022

कार्य परिषद् की कार्यवाही

दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही :

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 हरिहर प्रसाद शुक्ल, पूर्व प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
3.	प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष–हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय	सदस्य
4.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
5.	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	सदस्य
6.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू, (सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग)	सदस्य
7.	प्रो0 मसऊद आलम, आचार्य–अरबी, (सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग)	सदस्य
8.	प्रो0 तनवीर खदीजा, आचार्य–अंग्रेजी विभाग	सदस्य
9.	प्रो0 सैयद हैदर अली, आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
10.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 तत्हीर फातिमा, सह आचार्य–गृह विज्ञान	सदस्य
12.	डॉ0 वसी अहमद आज़म अंसारी, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
13.	डॉ0 पूनम चौधरी, सहायक आचार्य–इतिहास विभाग	सदस्य
14.	श्री अजय कृष्ण यादव, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

बिन्दु संख्या–1 :

शासन द्वारा गठित त्रिसदस्यीय जाँच समिति की जाँच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक समिति द्वारा प्रो0 माहरूख मिर्जा के विरूद्ध तैयार किये गये आरोप पत्र का अनुमोदन ।

निर्णय :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के विरूद्ध अनुशासनिक समिति द्वारा तैयार किये गये आरोप पत्र को कुलसचिव द्वारा पढ़कर सुनाया गया, जिस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त आरोप गम्भीर प्रकृति के होने के कारण कार्य परिषद् द्वारा प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के विरूद्ध आरोप पत्र मय संलग्नक पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्गत करने के निर्देश दिये।

कार्य परिषद् के सदस्य प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा आरोप पत्र की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित सुझावों को अंकित करने के लिए कहा गया–

Scanned with OKEN Scanner

1. शिक्षकों की अनर्हता का दायित्व केवल कुलपति का नहीं होता है, चयन समिति और कार्यपरिषद का भी होता है।
2. स्क्रूटनी का दायित्व कुलपति का नही होता है।
3. सहायक लेखाकार की पदोन्नति एवं नियुक्ति का दायित्व कुलपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
4. शिक्षकों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन किसके आदेश से लगी थी, उस आदेश की कार्यपरिषद से पुष्टि करा लेनी चाहिए थी।

प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित के उक्त सुझावों पर डॉ0 तल्हीर फातिमा के अतिरिक्त कार्यपरिषद के किसी अन्य सदस्य द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गयी।

बिन्दु संख्या–2 :

डॉ0 आरिफ अब्बास द्वारा डॉ0 सिद्धार्थ सुदीप के साथ की गयी मारपीट व गाली गलौज के सम्बन्ध में गठित जॉच समिति की जॉच आख्या के आधार पर दिनांक 22.12.2022 को निलम्बित किया गया, जिसके सम्बन्ध में निम्नानुसार अनुशासनिक जांच समिति के अनुमोदन पर विचार :–

1–	प्रो0 एन0बी0 सिंह, माननीय कुलपति	: अध्यक्ष
2–	प्रो0 सुधीर महरोत्रा, आचार्य, बॉयोकेमेस्ट्री विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	: सदस्य
3–	डॉ0 महेन्द्र कुमार, सह–आचार्य, भौतिकी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	: सदस्य

निर्णय :

डॉ0 आरिफ अब्बास के सम्पूर्ण प्रकरण को कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के समक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि डॉ0 सिद्धार्थ सुदीप, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग के विरूद्ध डॉ0 आरिफ अब्बास, सहायक आचार्य, फारसी विभाग द्वारा कुलसचिव को सम्बोधित एवं प्रतिलिपि माननीय कुलपति जी को पृष्ठांकित कर दिये गये शिकायती पत्र दिनांक 27.05.2022 में अंकित तथ्यों एवं आरोपों के सम्बन्ध में निष्पक्ष जॉच कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया। शिकायती पत्र में अंकित तथ्यों/आरोपों की जॉच हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय, प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग एवं डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार की एक त्रिसदस्यीय जॉच समिति का गठन दिनांक 06.06.2022 को किया गया था।

उक्त गठित समिति द्वारा प्रकरण की जॉच कर जॉच आख्या दिनांकित 09.12.2022 मूल रूप में संलग्न कर कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा डॉ0 आरिफ अब्बास के विरूद्ध जॉच आख्या में विश्वविद्यालय परिनियमावली का निम्नांकित अंश अंकित किया गया है:–

"विश्वविद्यालय परिनियामावली सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित, अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 68 (हिंदी) परिशिष्ट 'ख' (परिनियम के बिन्दु सं0–16.01, 16.02) अध्यापकों के लिए आचार संहिता के

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तर–4 में उल्लेखित है कि, 'कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर किसी शिष्यों में भेदभाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।"

जॉच समिति द्वारा निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि संकलित किये गये अभिकथनों एवं साक्ष्यों के अनुशीलन से डॉ0 आरिफ अब्बास, सहायक आचार्य, फारसी विभाग के संदर्भित शिकायती प्रार्थना–पत्र में डॉ0 सिद्धार्थ सुदीप, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग के विरूद्ध अंकित किये गये तथ्य/आरोप असत्य, मनगढंत एवं कपोलकल्पित हैं। डॉ0 आरिफ अब्बास द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना एक शिक्षक की गौरवगरिमा, सत्यनिष्ठा एवं आचरण के प्रतिकूल होने के साथ–साथ विश्वविद्यालय की छवि को भी धूमिल करने का परिचायक है। डॉ0 आरिफ अब्बास द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली में दी गयी अनुशासन व्यवस्था का भी उल्लंघन किया गया है, जिसके लिये वे पूर्णतः दोषी हैं।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में करायी गयी जॉच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि डॉ0 आरिफ अब्बास, सहायक आचार्य, फारसी विभाग द्वारा पठन–पाठन के कार्यों में रुचि न लेकर अनावश्यक फर्जी शिकायतें करने, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को खराब करने एवं जातीय विद्वेष का सहारा लेकर अशान्ति का वातारण उत्पन्न करने में अत्यधिक तत्परता दिखायी जा रही है। डा0 आरिफ अब्बास की इस तरह की विघटनात्मक संलिप्तता से विश्वविद्यालय को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतएव डा0 आरिफ अब्बास की दिन–प्रतिदिन बढ़ती हुई विघटनकारी गतिविधियों को हतोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत इनके विरुद्ध सुधार हेतु दण्डात्मक कार्यवाही का किया जाना नितान्त आवश्यक है।

डॉ0 आरिफ अब्बास को प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 22.12.2022 को निलम्बित किया गया। कार्यपरिषद द्वारा प्रारम्भिक जॉच आख्या को स्वीकार करते हुए डॉ0 आरिफ अब्बास के निलम्बन आदेश पर सहमति व्यक्त की गयी।

कार्य परिषद् द्वारा प्रश्नगत प्रकरण एवं अन्य बिन्दुओं की अन्तिम जांच हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली 8.10(1) सपठित 8.11 (1)(b) में दी गई व्यवस्था के क्रम में प्रस्तावानुसार निम्नांकित अनुशासनिक समिति पर अनुमोदन प्रदान किया गया है–

1– प्रो0 एन0बी0 सिंह, माननीय कुलपति : अध्यक्ष
2– प्रो0 सुधीर महरोत्रा, आचार्य, बॉयोकेमेस्ट्री विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ : सदस्य
3– डॉ0 महेन्द्र कुमार, सह–आचार्य, भौतिकी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ : सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

अनुशासनिक समिति अपनी जांच आख्या संस्तुति सहित 03 माह में प्रस्तुत करेगी।

बिन्दु संख्या–3 :

संविदा शिक्षकों के विरूद्ध कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 02 जनवरी, 2022 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–12/भा. विवि/कुसका/2022, दिनांक 03 जनवरी, 2022 द्वारा गठित जॉच समिति की प्राप्त रिपोर्ट माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ/संज्ञानार्थ ।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–12/भा.विवि/कुसका/2022, दिनांक 03 जनवरी, 2022 द्वारा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नियुक्त संविदा शिक्षकों की अर्हता आदि के सम्बन्ध में जांच हेतु त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गयी थी, जिसके द्वारा दिनांक 20.12.2022 को जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त जांच आख्या को स्वीकार करते हुए कार्यपरिषद द्वारा उक्त जॉच आख्या को शासन द्वारा कराई गई जॉच पर प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या:2110/भाविवि/कु0का/2022/832/22 दिनांक 24 सितम्बर, 2022 द्वारा गठित अनुशासनिक समिति को अग्रेतर अन्तिम जॉच हेतु सौंपने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति जॉच पूर्ण कर संस्तुति सहित आख्या 03 माह में प्रस्तुत करेगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(अजय कृष्ण यादव)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner